न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 01/2024 **GCMS No. 2024/10**

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995

1. राजेन्द्र पुत्र श्री अशोक कुमार जाति अग्रवाल निवासी नजदीक बस स्टेण्ड वार्ड नं. 13, ऐलनाबाद तहसील जिला सिरसा हरियाणा।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट (राजस्थान सरकार)।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री अनिल सिंह खींचड़ अभियोजन अधिकारी — अभिभाषक अपीलांट राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक 25.11.2024

यह अपील राजस्थान गोवंशीय अधिनियम 1995 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़ के निर्णय दिनांक 16.08.2024 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है –

1– अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण सरकार बनाम इस्लाम वगैरह अंतर्गत धारा 5, 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 प्रथम सूचना रिपोर्ट 227/2024 पुलिस थाना रायसिंहनगर में जब्तशुदा वाहन रजि. नं. एचआर–57ए–4738 को प्रार्थी अपीलांट की सुपुर्दगी में दिये जाने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2024 पारित करते हुए प्रार्थी अपीलांट के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2024 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

संभागीय आयुक्त बीकानेर

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट वाहन एच.आर. 57 ए–4738 का एक रजिस्टर्ड मालिक हैं, जिसे पुलिस थाना

रायसिंहनगर ने राजस्थान गोवंशीय अधिनियम 1995 की धारा 5, 8 के [illegible] जब्त कर रखा है। पुलिस थाना रायसिंहनगर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 227/2024 के अनुसार उक्त वाहन में दिनांक 21.06.2024 को 10 गायें व एक बछड़ा था, जिनको अपीलांट द्वारा सुखचेन सिंह पुत्र नरवेल सिंह अपने बहनोई राजेन्द्र सिंह के घर घड़साना छोड़ने जा रहा था, जिस हेतु अपीलांट का उक्त वाहन पशुओं को ले जाने के लिए काम में लिया गया था। अपीलांट ने कोई गैर कानूनी कार्य नहीं किया है। अपीलांट उक्त वाहन से मजदूरी करता है ओर मजदूरी करने के लिए उक्त वाहन की सद्भावी आवश्यकता हैं। अपीलांट उक्त वाहन को आदेश होने पर उपस्थिति करता रहेगा तथा उक्त वाहन को कभी भी खुर्द–बुर्द नहीं करेगा। अपीलांट उक्त वाहन का रजिस्टर्ड मालिक होने के कारण उक्त वाहन सुपुर्दगी पर प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलांट श्रीमान के आदेश होने पर सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पेश करने को तैयार है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट के जब्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश न्यायहित में फरमावे।

3– विद्वान अभिभाषक अभियोजन अधिकारी ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़ द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2024 राजस्थान गोवंशीय अधिनियम 1995 की धारा 7 में उल्लेखित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए पारित किया गया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में ठोस साक्ष्य पेश करने में असफल रहें। पुलिस रिपोर्ट अनुसार जब्तशुदा वाहन अवैध गतिविधियों में काम लेते हुए जब्त किया गया। उक्त वाहन यदि अपीलांट को सुपुर्द कर दिया जाता है तो उसके पुनः दुर्पयोग की संभावना रहेगी। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

4– हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2024 पारित करते हुए अपीलांट के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया। गोवंशीय अधिनिमय की धारा 11 के अनुसार "सबूत का भार जहां किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाये वहां यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपराध नहीं किया था।" किन्तु अपीलांट इस न्यायालय में भी ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सके जिससे यह साबित हो कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन आदेश पूर्ण विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए पारित किया गया है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2024 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं।

5– तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर